

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 481/2017**

=====

संजय कुमार तिवारी, पिता- श्री राजनाथ तिवारी, निवासी ग्राम-भुसौला, पोस्ट-  
दामोदरपुर, थाना एवं प्रखंड-साहपुर, जिला-भोजपुर

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. आयुक्त-सह-सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला मजिस्ट्रेट, भोजपुर, आरा।
3. उप-मंडल अधिकारी, जगदीशपुर, जिला- भोजपुर
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला- भोजपुर, आरा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भोजपुर, आरा।
6. प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड- साहपुर, जिला- भोजपुर, आरा।
7. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, खंड- साहपुर, जिला- भोजपुर, आरा।
8. पंचायत सचिव, पंचायत शिक्षक रोजगार इकाई दामोदरपुर, प्रखंड- साहपुर, जिला- भोजपुर, आरा।
9. श्री उपेंद्र यादव, पिता श्री राम स्वरूप यादव, गाँव + पोस्ट- दामोदरपुर, थाना- साहपुर, जिला- भोजपुर, आरा के निवासी।

..... उत्तरदातागण

=====

के साथ

**सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 2716/2017**

=====

श्री उपेंद्र यादव, पिता- श्री राम स्वरूप यादव, निवासी गाँव + पोस्ट- दामोदरपुर, थाना  
और अंचल- साहपुर, जिला-भोजपुर, आरा ।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य।

2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय भवन, बेली रोड, पटना-800001।
3. जिला मजिस्ट्रेट, भोजपुर, आरा।
4. उप-मंडल अधिकारी, जगदीशपुर, जिला भोजपुर, आरा।
5. जिला शिक्षक रोजगार अपीलीय न्यायाधिकरण, भोजपुर, आरा।
6. जिला शिक्षा अधीक्षक, भोजपुर, आरा।
7. प्रखंड शिक्षा विस्तार अधिकारी, शाहपुर जिला भोजपुर, आरा।
8. प्रखंड विकास अधिकारी, शाहपुर, जिला भोजपुर, आरा।
9. मुखिया, ग्राम पंचायत दामोदरपुर, अंचल- शाहपुर, जिला- भोजपुर, आरा।
10. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत दामोदरपुर, अंचल- शाहपुर, जिला- भोजपुर, आरा।
11. संजय कुमार तिवारी, पिता- राजनाथ तिवारी, गाँव-भुसौला, डाकघर- दामोदरपुर, थाना-शाहपुर, जिला- भोजपुर, आरा ।

..... उत्तरदातागण

=====

#### उपस्थिति:

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 481/2017 में)

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : | श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता      |
| :                         | श्री तारकेश्वर नाथ ठाकुर, अधिवक्ता      |
| :                         | श्री चेतन कुमार, अधिवक्ता               |
| उत्तरदातागण की ओर से :    | श्री सुभाष चंद्र मिश्रा- एससी 16        |
| :                         | श्री प्रमोद कुमार सिंह, एससी से एससी 16 |

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2716/2017 में)

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : | श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता     |
| उत्तरदातागण की ओर से :    | श्रीमती शिल्पा सिंह-जीए 12                |
| :                         | श्री राम विनय प्रसाद सिंह, एससी से जीए 12 |

=====

पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द करने की वैधता - पंचायत नियुक्तियों की जांच करने में अनुमंडल पदाधिकारी का क्षेत्राधिकार। न्यायालय ने कल्पना रानी (2014 पीएलजेआर 665) में पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला देते हुए रद्द

करने के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पंचायत शिक्षा मित्रों के पद 01.07.2006 से समाप्त कर दिए गए थे, और नियुक्तियां पूर्वव्यापी रूप से फिर से नहीं खोली जा सकतीं (पैरा 10) - अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की गई जांच क्षेत्राधिकार के बिना और बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के विपरीत थी (पैरा 5)। - न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिकारों की पुष्टि की और उच्च योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के दावों को खारिज कर दिया (पैरा 12)।

=====

#### पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

दिनांक- 25-06-2024

#### री: सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 481/2017

1. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.11.2015 के पत्रांक संख्या-1125 के अनुमंडल अधिकारी, जगदीशपुर के द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की पंचायत शिक्षा मित्र/पंचायत शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता की सेवाओं को इस आधार पर रद्द करने का निर्देश दिया गया कि जांच के बाद, यह पता चला है कि पंचायत शिक्षा मित्र की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता की गई थी। याचिकाकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी 01.12.2016 के पत्रांक 6139, दिनांक 02.12.2016 के पत्रांक 6141 और दिनांक 02.12.2016 के पत्रांक 6142 को निरस्त करने की प्रार्थना की।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दामोदरपुर पंचायत, ब्लॉक-शाहपुर, जिला-भोजपुर, आरा के तहत वर्ष 2004-2005 में पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञापन, याचिकाकर्ता ने अनारक्षित श्रेणी के तहत उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता का नाम चयन सूची में क्रम संख्या 3 पर अंकित था और उसे पंचायत शिक्षक मित्र के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या- 9 अर्थात् उपेंद्र यादव ने जिला शिक्षक रोजगार अपीलीय प्राधिकरण, भोजपुर के समक्ष आरा में अपील केस संख्या- 9/2011 के तहत अपील दायर की थी जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि **बिहार के पंचायत प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा) शर्तें) नियम, 2006** (इसके बाद "2006 नियम" के रूप में संदर्भित) लागू होने के बाद पंचायत शिक्षा मित्र के पद को समाप्त कर दिया गया है और उक्त पद के खिलाफ नियुक्ति के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या- 9 को स्वतंत्रता दी गई थी कि यदि वह चाहे तो जिला शिक्षा अधिकारी, भोजपुर के समक्ष आवेदन कर सकता है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया की जांच कर सकता है।

4. उत्तरदाता संख्या- 9 ने जिला शिक्षा अधिकारी, भोजपुर के बजाय प्रतिवादी संख्या- 3 अर्थात् अनुमंडल अधिकारी, जगदीशपुर के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। उत्तरदाता संख्या- 3 ने जांच की और दिनांक 25.11.2015 को आदेश पारित किया और इसे पत्रांक संख्या- 1125 के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भोजपुर, आरा को भेजा जिसमें यह कहते हुए कि पंचायत शिक्षा मित्र की नियुक्ति में तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा अनियमितता की गई थी और याचिकाकर्ता को गलत तरीके से पंचायत शिक्षा मित्र के उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने और प्रतिवादी संख्या- 9 को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की गई है जिनके पास पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता थी। तदनुसार, उत्तरदाता संख्या-5 अर्थात् जिला शिक्षा अधिकारी,

जिला-भोजपुर, आरा, उनके दिनांक 01.12.2016 के पत्रांक संख्या- 6139 से पंचायत सचिव, दामोदरपुर पंचायत को याचिकाकर्ता की नियुक्ति को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और *अपने आप* में अवैध है और **2006 के नियमों** के निर्देश का उल्लंघन है। **2006 के नियम** दिनांक 01-07-2006 के प्रवृत्त होने के बाद, पंचायत शिक्षा मित्र की नियुक्ति से संबंधित किसी भी मुद्दे को **कल्पना रानी बनाम बिहार राज्य, 2014 (2) पीएलजेआर 665** के मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले के आलोक में खोला या जांच नहीं की जा सकती है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या-9 के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि एस. डी. ओ., जगदीशपुर, बिहार द्वारा की गई जांच में यह पाया गया है कि मुखिया और पंचायत सचिव ने एक झूठी योग्यता सूची तैयार की और प्रतिवादी संख्या- 9 का अधिक महत्व के अंक होने के बावजूद, जानबूझकर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया और बाद में, एस. डी. ओ., जगदीशपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आलोक में, जिला शिक्षा अधिकारी, भोजपुर, आरा ने पंचायत सचिव को याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश दिया। **2019 (2) पी. एल. जे. आर. 275 (बिहार राज्य और अन्य बनाम सावलिया राय और अन्य)** में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय पर वह निर्भर करती है।

**पुनः सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2716/2017**

7. इस मामले के तथ्य सी.डब्ल्यू.जे.सी.- 481/2017 के समान हैं और उत्तरदाता संख्या-9 सी.डब्ल्यू.जे.सी.- 481/2017 में रिट याचिकाकर्ता है। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता संख्या- 11 (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 481/2017 में याचिकाकर्ता) की

नियुक्ति रद्द होने के आधार पर शिक्षा मित्र के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि पूछताछ पर, एस. डी. ओ. जगदीशपुर, भोजपुर, आरा ने पाया है कि एक झूठी योग्यता सूची जानबूझकर तैयार की गई है और याचिकाकर्ता के अधिक अंक होने के बावजूद उत्तरदाता संख्या- 11 को नियुक्त किया गया। पंचायत शिक्षा मित्र की नियुक्ति के समय चयन प्राधिकरण द्वारा धोखाधड़ी की गई है।

9. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्तों को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के माध्यम से गए हैं। सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 2716/2017 में याचिकाकर्ता पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति के लिए अपने अधिकार का दावा कर रहा है। तथ्यों से यह पता चलता है कि उत्तरदाता संख्या- 11 सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 2716/2017 (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 481/2017 में याचिकाकर्ता) को वर्ष 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। **2006 के नियम** दिनांक 01-07-2006 के लागू होने के बाद उन्हें मानदेय मिला और उन्हें पंचायत शिक्षक के रूप में भी शामिल किया गया और वे पंचायत शिक्षक के रूप में अपना वेतन प्राप्त कर रहे थे। सी.डब्ल्यू.जे.सी. नं.- 481/2017 के उत्तरदाता संख्या- 9, श्री उपेंद्र यादव द्वारा दी गई चुनौती जिला अपीलीय प्राधिकरण, भोजपुर, आरा के समक्ष अपील मामला संख्या- 9/ 2011 में इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि **बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006**, लागू होने के बाद पंचायत शिक्षा मित्र के पद को समाप्त कर दिया गया और पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। जिला अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आधार पर, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 2716/2017 के याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 481/2017 के रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति के खिलाफ

शिकायत करते हुए एस.डी.ओ. जगदीशपुर, भोजपुर, आरा के समक्ष एक आवेदन दायर किया। एस. डी. ओ. ने पंचायत शिक्षा मित्र की नियुक्ति के संबंध में विवाद में प्रवेश किया और दिनांक 25.11.2015 की सिफारिश के साथ एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या - 481/2017 के प्रतिवादी संख्या- 9 याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक महत्व के अंक थे, इस प्रकार, पंचायत सचिव द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया में अनियमितता थी।

10. **2006 के नियमों** 01.07.2006 के लागू होने के बाद पंचायत शिक्षा मित्र का पद समाप्त कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियोजित नहीं किया जा सकता है/रोजगार का दावा नहीं किया जा सकता है/मानित रोजगार नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि **श्रीमती रेणु कुमारी पांडे और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2011 में रिपोर्ट (4) पी. एल. जे. आर. के मामले के 297 (खं.पी.)** के रिपोर्ट में न्यायालय के विद्वान खंड पीठ ने कहा है कि **कल्पना रानी बनाम बिहार राज्य और अन्य 2014 (2) पी. एल. जे. आर. 665** के मामले में पूर्ण पीठ ने खंड पीठ के फैसले की पुष्टि की है तथा अभिनिर्धारित किया है जो पैरा नं.- 118 में इस प्रकार है:-

*“118. इस प्रकार अपनी चिंता को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि 1.7.2006 के बाद, किसी भी व्यक्ति को, जो पहले पंचायत शिक्षा मित्र के पद के लिए आकांक्षी था, केवल इसलिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका नाम पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल में था। पंचायत शिक्षा मित्र के पद को 1.7.2006 से समाप्त कर दिया गया है और*

पद के उन्मूलन के बाद, किसी को भी पंचायत शिक्षक के पद पर उनके केवल पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। श्रीमती रेणु कुमारी पांडे (ऊपर) के मामले में खंड पीठ के फैसले में लिया गया विचार एक अच्छा कानून है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि किशोरी प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में पहले के खंड पीठ के फैसले ने, ऊपर बताए गए कारणों से, कानून का सही निर्णय नहीं लिया है और तदनुसार, खारिज कर दिया गया है।”

11. वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 481/2017 के उत्तरदाता संख्या-9 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-2716/2017 के याचिकाकर्ता 01.07.2006 को यानि लागू होने के समय पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में काम नहीं कर रहे थे । पंचायत शिक्षक मित्र को पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त करना इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लामू करते हुए, यह मानना मुश्किल है कि सिर्फ इसलिए कि सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 481/2017 के उत्तरदाता संख्या-9 के पास अधिक अंक थे, लेकिन उसे 01-07-2006 से पहले वह पंचायत शिक्षक मित्र को पंचायत शिक्षक के रूप में रूपांतरण के बाद उसकी योग्यता स्थिति के आधार पर पंचायत शिक्षक मित्र के रूप में नियुक्त करने का आधार है।

12. पूर्ण पीठ का निर्णय वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू हुआ और केवल याचिकाकर्ता संजय कुमार तिवारी से अधिक अंक होने के कारण, उत्तरदाता संख्या-9 पंचायत शिक्षा मित्र और/या पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए हकदार नहीं

है। सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 2716/2017 के याचिकाकर्ता और सी.डब्ल्यू.जे.सी.- 481/2017 के उत्तरदाता संख्या-9 ने इस न्यायालय के खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। *बिहार राज्य और अन्य बनाम सावलिया राय और अन्य के मामले में, 2019 (2) पी. एल. जे. आर. 275* में रिपोर्ट किया गया। उपरोक्त मामले में, रिट याचिकाकर्ताओं ने जाली/नकली अंकपत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की थी, इस प्रकार, खंड पीठ ने कहा कि कानून के सिद्धांत के संबंध में कोई विवाद नहीं है, जैसा कि *कल्पना रानी (ऊपर)* के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा सुलझा लिया गया है, लेकिन एक अपवाद निकलता है कि धोखाधड़ी पेटेंट और प्रकट है और स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जा सकता है।

13. वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता संजय कुमार तिवारी ने नकली/जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की। उत्तरदाता संख्या-9 याचिकाकर्ता से अधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति का दावा कर रहा है। पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार इस पहलू की जांच नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, मेरी राय में पूर्ण पीठ का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू होता है और याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जब उसे पंचायत शिक्षक के रूप में शामिल किया जाता है। तदनुसार, प्रत्यर्थी सी.डब्ल्यू.जे.सी.-481/2017 के उत्तरदाता संख्या-9 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 2716/2017 की याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में रोजगार/मानित रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही *2006 के नियम 20 (iii)* के संचालन द्वारा पंचायत शिक्षक की सेवाओं में शामिल होने का अधिकार है।

14. परिणामस्वरूप, पहली रिट याचिका अर्थात् सी.डब्ल्यू.जे.सी.-481/2017 को अनुमति दी जाती है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के द्वारा दिनांक

25.11.2015 के आक्षेपित आदेश और परिणामी पत्र सं.- 1125 दिनांक 01.12.2016 जिस पर पत्र संख्या -6139 दिनांक 02.12.2016, पत्र संख्या- 6141 दिनांक 02.12.2016, पत्र संख्या- 6142 दिनांक 02.12.2016 को जारी पत्रांक रद्द किया जाता है जबकि दूसरी रिट याचिका यानी सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 2716/2017, में योग्यता नहीं होने के कारण से खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

रिंकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।